न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 38/2026

1. मुकेश कुमार पुत्र ताराचन्द
2. प्रकाश पुत्र श्योकरण
3. सरदार सिंह पुत्र रामकुमार
4. सुधीर पुत्र चिमनाराम
5. अंकित पुत्र रणवीर

समस्त जाति जाट, निवासीगण दुर्जनपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं रा0 बहैसियत स्वयं व प्रतिनिधि ग्राम वासीयान दुर्जनपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी तहसीलदार झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. ग्राम पंचायत आबूसर जरिये प्रशासक ग्राम पंचायत आबूसर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

––

प्रथम अपील अ0 धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 04.01.2010 बाबत नामान्तरकरण संख्या 92 बाबत खसरा नं0 531/319 रकबा 0.81 है0 गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम दुर्जनपुरा

––

उपस्थितः–

1. श्री संदीप काजला, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री मनरूप सिहं लाम्बा, अधिवक्ता– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 12.03.2026

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 04.01.2010 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र एफा 5 मि0अ0 व प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र एफा 5 मि0अ0 व प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में तथ्य अपील के इस प्रकार से है कि कार्यालय जिला कलक्टर झुंझुनूं में दिनांक 09.06.1985 से जमीन गत खसरा नं0 36/1 में से 3 बीघा 4 बिश्वा वाके ग्राम दुर्जनपुरा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को संलग्न नक्शे व आवेदन पत्र के अनुसार आंवटित की। इस आधार पर नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 08.05.1990 को नामान्तरकरण आंवटित जमीन का आबूसर कैम्प में दर्ज किया गया। इस जमीन गत खसरा नं0 36/1 रकबा 3 बीघा 4 बिश्वा के हाल खसरा नं0 323/475 रकबा 0.7800 है0, खसरा नं0 322 रकबा 0.03 है0 कुल रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम दुर्जनपुरा है। पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण में रिपोर्ट की कि आवंटन आदेश के अनुसार नामान्तरकरण पुराना आदेश होने से नक्शा स्पष्ट न होने से दूसरा नामान्तरकरण भरकर पेश किया जा रहा है। तहसीलदार झुंझुनूं ने इस नामान्तरकरण सं0 92 बाबत जमीन ख0नं0 531/319 रकबा 0.81 हैक्टर गैर मुमकीन आबादी को निर्णय दिनांक 04.01.2010 से पुनः रेस्पोडेन्टस नं0 2 के हक में दर्ज कर दिया। इस नामान्तरकरण स. 92 पर पारित आदेश दिनांक 04.01.2010 को अपास्त करवाने के लिये अपीलान्ट्स की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अपीलान्ट्स आदेश दिनांक 04.01.2010 से प्रभावित होते है क्योंकि ग्राम दुर्जनपुरा के निवासी है व आबादी विस्तार हेतु जमीन आवंटित की गयी उसमें से जमीन नियमानुसार प्राप्त करने के अधिकारी है व ग्राम वासीयान ने प्रतिनिधि नियुक्त किया है व हित समान है। ग्राम दुर्जनपुरा के निवासीयान की जनसंख्या करीब 2500 व्यक्तियों की है। इस कारण प्रतिनिधि की हैसियत से अपीलान्ट को इजाजत दी जाना न्यायोजित है। पूर्व आवंटन व नामान्तरकरण के खिलाफ अन्य जमीन ख0नं0 531/319 रकबा 0.81 है दुर्जनपुरा का नामान्तरकरण गोचर भूमि के भाग का बिना अधिकार के दर्ज है। न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू ने दिनांक 09.06.1983 के आदेश से आवेदन पत्र के सलंग्न नक्शे के अनुसार जमीन आंवटित की जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं0 131 दिनांक 08.05.1990 को नायब तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा दर्ज कर दिया गया व गत ख0नं0 36/1 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा के हाल ख0नं0 323/475 व ख0नं0 322 वाके ग्राम दुर्जनपुरा है यह जमीन ही आवंटित कर रेस्पोडेन्ट नं0

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

2 को दी गयी थी लेकिन अवैध रूप से पटवारी हल्का ने ख0नं0 531/319 रकबा 0.81 हैक्टर वाके ग्राम दुर्जनपुरा दर्ज कर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1983 की पालना में नामान्तरकरण सं0 92 दर्ज किया व तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 04.01.2010 को स्वीकृत शब्द लिखकर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार झुंझुनूं ने नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व आंवटन आदेश दिनांक 09.06.1983 व संलग्न आवेदन पत्र व नक्शे का अवलोकन नहीं किया न मौके पर जाकर जांच की, न पक्षकारान को सुना गया बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही अवैध रूप से नामान्तरकरण आदेश पारित किया जो खारिज होने योग्य है। न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं ने नामान्तरकरण संख्या 92 में वर्णित आवंटन आदेश व नक्शे का अवलोकन नहीं किया व इसमें दर्ज पूर्व नामान्तरकरण सं0 131 दिनांक 08.05.1990 का भी अवलोकन नहीं किया गया व करीब 20 साल बाद बिना विधिक प्रकिया के अवैध रूप से गलत नामान्तरकरण दर्ज किया गया जबकि विधि का आदेश है कि पूर्व के आदेश कायम रहते हुए दूसरा आदेश अलग से पारित नहीं किया जा सकता। इस कारण क्षेत्राधिकार के बाहर होने व अवैध होने से खारिज होने योग्य है। पूर्व आवंटन आदेश व आदेश के संलग्न नक्शे का हवाला न देकर बिना नक्शे के ही अवैध रूप से नामान्तरकरण आदेश पारित कर दिया जो खारिज होने योग्य है। इस गलत नामान्तरकरण की शिकायत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को व जिला कलक्टर झुंझुनूं को की गई कि दुबारा नामान्तरकरण गलत दर्ज किया गया जिसकी जांच करवाने पर तहसीलदार झुंझुनूं ने दिनांक 14.10.2025 को रिपोर्ट की, कि नामान्तरकरण सं0 92 दिनांक 04.01.2010 को खारिज किया जाना न्यायोचित है। यह भी दर्ज किया गया कि नक्शे में तरमीम गलत कर दी गई। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि कार्यालय जिला कलक्टर झुंझुनूं से आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1983 को संलग्न नक्शे के अनुसार पारित किया जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं0 131 दिनांक 08.05.1990 को दर्ज कर दिया गया जिसके कायम रहते हुए बिना उचित कारण के दूसरा नामान्तरकरण अन्य जगह पटवारी हल्का ने गलत भरकर पेश किया व तहसीलदार झुंझुनूं ने गलत स्वीकार किया। गत खसरा नं0 36/1 में से 3 बीघा 4 बिश्वा जमीन आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी व ग्राम पंचायत को दी गई थी। ग्राम पंचायत आबूसर की बिना परमिशन के बिना सूचना के विधिवत विवेचन किया बिना अवैध रूप से आदेश के कायम रहते हुए अन्यत्र जगह का नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो जमीन आवंटित ही नहीं थी व गोचर भूमि के भाग को पटवारी हल्का व तहसीलदार झुंझुनूं ने मिलकर गलत रूप से नामान्तरकरण दर्ज कर स्थिति में परिवर्तन रिकॉर्ड में कर दिया जो इन्द्राजात व आदेश खारिज होने योग्य है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 04.01.2010 बाबत नामान्तरकरण सं0 92 बाबत खसरा नं0 531/319 रकबा 0.81 है0 को खारिज किया जावे व पूर्व नामान्तरकरण सं0 131 दिनांक 08.05.1990 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती का आदेश दिया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट्स आदेश दिनांक 04.01.2010 से प्रभावित होते है क्योंकि ग्राम दुर्जनपुरा के निवासी है व आबादी विस्तार हेतु जमीन आवंटित की गयी उसमें से जमीन नियमानुसार प्राप्त करने के अधिकारी है व ग्राम वासीयान ने प्रतिनिधि नियुक्त किया है व हित समान है। ग्राम दुर्जनपुरा के निवासीयान की जनसंख्या करीब 2500 व्यक्तियों की है। इस कारण प्रतिनिधि की हैसियत से अपीलान्ट को इजाजत दी जाना न्यायोजित है। पूर्व आवंटन व नामान्तरकरण के खिलाफ अन्य जमीन ख0नं0 531/319 रकबा 0.81 है दुर्जनपुरा का नामान्तरकरण गोचर भूमि के भाग का बिना अधिकार के दर्ज है। न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू ने दिनांक 09.06.1983 के आदेश से आवेदन पत्र के सलंग्न नक्शे के अनुसार जमीन आंवटित की जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं0 131 दिनांक 08.05.1990 को नायब तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा दर्ज कर दिया गया व गत ख0नं0 36/1 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा के हाल ख0नं0 323/475 व ख0नं0 322 वाके ग्राम दुर्जनपुरा है यह जमीन ही आवंटित कर रेस्पोडेन्ट नं0 2 को दी गयी थी लेकिन अवैध रूप से पटवारी हल्का ने ख0नं0 531/319 रकबा 0.81 हैक्टर वाके ग्राम दुर्जनपुरा दर्ज कर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1983 की पालना में नामान्तरकरण सं0 92 दर्ज किया व तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 04.01.2010 को स्वीकृत शब्द लिखकर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार झुंझुनूं ने नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व आंवटन आदेश दिनांक 09.06.1983 व संलग्न आवेदन पत्र व नक्शे का अवलोकन नहीं किया न मौके पर जाकर जांच की, न पक्षकारान को सुना गया बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही अवैध रूप से नामान्तरकरण आदेश पारित किया जो खारिज होने योग्य है। न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं ने नामान्तरकरण संख्या 92 में वर्णित आवंटन आदेश व नक्शे का अवलोकन नहीं किया व इसमें दर्ज

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पूर्व नामान्तरकरण सं0 131 दिनांक 08.05.1990 का भी अवलोकन नहीं किया गया व करीब 20 साल बाद बिना विधिक प्रकिया के अवैध रूप से गलत नामान्तरकरण दर्ज किया गया जबकि विधि का आदेश है कि पूर्व के आदेश कायम रहते हुए दूसरा आदेश अलग से पारित नहीं किया जा सकता। इस कारण क्षेत्राधिकार के बाहर होने व अवैध होने से खारिज होने योग्य है। पूर्व आवंटन आदेश व आदेश के संलग्न नक्शे का हवाला न देकर बिना नक्शे के ही अवैध रूप से नामान्तरकरण आदेश पारित कर दिया जो खारिज होने योग्य है। इस गलत नामान्तरकरण की शिकायत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को व जिला कलक्टर झुंझुनूं को की गई कि दुबारा नामान्तरकरण गलत दर्ज किया गया जिसकी जांच करवाने पर तहसीलदार झुंझुनूं ने दिनांक 14.10.2025 को रिपोर्ट की, कि नामान्तरकरण सं0 92 दिनांक 04.01.2010 को खारिज किया जाना न्यायोचित है। यह भी दर्ज किया गया कि नक्शे में तरमीम गलत कर दी गई। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि कार्यालय जिला कलक्टर झुंझुनूं से आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1983 को संलग्न नक्शे के अनुसार पारित किया जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं0 131 दिनांक 08.05.1990 को दर्ज कर दिया गया जिसके कायम रहते हुए बिना उचित कारण के दूसरा नामान्तरकरण अन्य जगह पटवारी हल्का ने गलत भरकर पेश किया व तहसीलदार झुंझुनूं ने गलत स्वीकार किया। गत खसरा नं0 36/1 में से 3 बीघा 4 बिश्वा जमीन आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी व ग्राम पंचायत को दी गई थी। ग्राम पंचायत आबूसर की बिना परमिशन के बिना सूचना के विधिवत विवेचन किया बिना अवैध रूप से आदेश के कायम रहते हुए अन्यत्र जगह का नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो जमीन आवंटित ही नहीं थी व गोचर भूमि के भाग को पटवारी हल्का व तहसीलदार झुंझुनूं ने मिलकर गलत रूप से नामान्तरकरण दर्ज कर स्थिति में परिवर्तन रिकॉर्ड में कर दिया जो इन्द्राजात व आदेश खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 04.01.2010 बाबत नामान्तरकरण सं0 92 बाबत खसरा नं0 531/319 रकबा 0.81 है0 को खारिज किया जावे व पूर्व नामान्तरकरण सं0 131 दिनांक 08.05.1990 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती का आदेश दिया जावे।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने आंवटन आदेश दिनांक 09.06.1983 की पालना में नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण अदालत मातहत द्वारा जिला कलक्टर झुंझुनू के आवंटन आदेश कमांक एफ/02/03/राज/83/5149–93 दिनांक 09.06.1983 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 92 स्वीकृति दिनांक 04.01.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। प्रकरण में अपीलान्टस का अहम तर्क यह रहा है कि उक्त जिला कलक्टर झुंझुनू के आवंटन आदेश दिनांक 09. 06.1983 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 08.05.1990 को दर्ज हो चुका है। उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 04.01.2010 को दुबारा उक्त आवंटन आदेश की पालना में भूलवश दर्ज कर दिया है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का आबुसर की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2025 से वकील अपीलान्टस के कथनों को समर्थन मिलता है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम अपील अपीलान्टस स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 04.01.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत जिला कलक्टर झुंझुनू के उक्त आवंटन आदेश कमांक एफ/02/03/राज/83/5149–93 दिनांक 09.06.1983 के संबंध में पुनः मौके तथा रिकार्ड की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गोयल)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं